न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी – श्री रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

मु.सं. 35/2021

प्रार्थीगण –

1. करणाराम पुत्र रावताराम
जाति–मेघवाल निवासी– खेराट, तहसील–जायल जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. दुर्जनराम पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी खेराट तहसील जायल
2. खींयाराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी खेराट तहसील जायल
3. लालूराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी खेराट तहसील जायल
4. बिजड़ी पत्नि गिरधारी जाति मेघवाल निवासी खेराट तहसील जायल
5. तहसीलदार जायल
6. शाखा प्रबंधक एक्सिस बैंक शाखा नागौर।

उपस्थिति –

1. अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी, प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री गोपालराम गौदारा, श्री हनुमान मण्डा अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : आदेश : : –

दिनांक 11/7/2022

1. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 2 से 4 का कब्जा काश्त एवं खातेदारी के खेत खसरा न0 265 रकबा 6.4992 हेक्टेयर मौजा खेराट तहसील जायल में अन्य खेतो के साथ आया हुआ है। यह खेत घरेलू तोर पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 के बंट में है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 के इस खेत ख.न. 265 के चिपता हुआ दक्षिण में अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी का खेत ख.न. 270/1 आया हुआ है, जो आगे दक्षिण में खेराट से नागौर जाने वाली मुरडिया रोड पर लगता है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 के खेत ख.न. 265 मे आने जाने के लिए कोई कटाणी मार्ग नहीं होने से प्रार्थी व अप्रार्थी स. 2 को अपने खेत मे कास्त करने जाने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 अपने खेत मे आने जाने के लिए सबसे नजदीकी रास्ता अप्रार्थी सं. 1 के खेत ख.न. 270/1 के पूर्वी माठ के अन्दर अन्दर चलकर फिर आगे पश्चिम मे घूम कर नजरी नक्सा मे मार्क अ ब स से दर्शाया गया

11/7/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 के खेत मे आने जाने के लिऐ कोई कटाणी रास्ता या अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही होने से अप्रार्थी के खेत ख.न. 270/1 मे से नजरी नक्सा मे दर्शाये गये मार्क से ही सबसे नजदीकी रास्ता होने से प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 अपने मे खेत जा सकते है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थी को अपने खेत ख.न. 265 रकबा 6.4992 हेक्टेयर मे आने जाने तथा संसाधन लाने ले जाने के लिए अप्रार्थी सं. 1 के खेत ख.न. 270/1 मे से नजरी नक्सा मे दर्शित मार्क अ ब स पर 13 फुट चौडा रास्ता कायम किया जावे तथा रेकर्ड मे उक्त भूमि को रास्ता दर्ज किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपालराम गौदारा ने वकालातनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुये जो बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लायी गई। तहसीलदार जायल को हस्तगस्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई, जिसकी पालना में मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक कमेडिया तहसील जायल द्वारा दिनांक 20.08.2021 को तैयार कर मार्फत तहसीलदार जायल जरिये पत्रांक भू.अ./2021/3000 दिनांक 04.08.2021 से प्राप्त हुई, जो शामिल मिसल है।

3. तहसीलदार जायल ने प्रार्थी पक्ष के खेत 265 में प्रवेश (आने–जाने) करने के लिए सबसे नजदीकी रास्ता फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 02.08.2021 में वर्णित किया है कि प्रार्थी के खेत मे आने जाने के लिए वर्तमान में वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी वर्तमान में मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्सा में लाल स्याही से डोटेड लाईन पगडंडी से आवागमन करते है। प्रार्थी द्वारा वांछित व प्रस्तावित रास्ता वर्तमान कटाणी रास्ता से नजदीक नहीं होकर नक्सा मे मार्क ळभ्भ्श्र रास्ता नजदीक है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता व मौका रिपोर्ट मे वर्णित अन्य रास्तो पर मौके पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है।

4. वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 प्रार्थना पत्र बाबत मौका रिपोर्ट पर आपत्ति एवं निष्पक्ष मौका रिपोर्ट मगवाने बावत पेश किया, जिसकी नकल वकील प्रार्थी को दिलाई गई। वकील प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही करना चाहकर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य दोहेराते हुये निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट सही नहीं बनाई गई है। खेत मे मकान बने हुये उनका हवला नहीं दिया गया हैं तथा अप्रार्थी सं. 1 वृद्ध आदमी है, को मौके पर नहीं बुलाया गया साथ ही अप्रार्थी के खेत की लम्बाई सही नहीं लिखी है व माठ पर पेड़ पौधो का हवाला नही दिया गया है। अत. रिपोर्ट पुनः मंगवाई जावे। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि धारा **251 क** मे मौका रिपोर्ट तीन बिन्दूओ पर तैयार की जाती है जिसमें मांगे गये मार्ग मे कच्चा–पक्का निर्माण अथवा प्राकृतिक अवरोध यथा पेड धोरा आदि हो, वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता एवं डीएलसी

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

रिपोर्ट जो कि पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट बिन्दूनुसार वर्णित है। मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थी सं. 1 का पुत्र स्वयं हाजिर आकर मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये है। वकील अप्रार्थी द्वारा खेत की लम्बाई के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है तथा यह आपत्ति मात्र प्रकरण में देरीन्दा करवाने हेतु पेश किया।

वकील अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आपत्ति मे वर्णित तथ्यों तथा विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी की ओर से आपत्ति मे समर्थन मे कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है केवल लिखित आपत्ति है। मौका रिपोर्ट बिन्दूवार व स्पष्ट होने से वकील अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आपत्ति सारहीन एवं काल्पनिक होने के कारण खारिज योग्य होने से खारिज की गई।

5. वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में से आंशिक पैरा सहीं है तथा शेष समस्त पैराज मिथ्या, मनगढ़त, गलत, बनावटी होने से अस्वीकार है। प्रार्थी के खेत के दक्षिण मे अप्रार्थी सं.1 के खेत के अलावा ख.न. 270 के खातेदार का खेत आया हुआ है, को पक्षकार नहीं बनाया गया है। आगे खेराट से नागौर जाने वाले मुरडीया रोड पर लगते है व प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 के खेत मे कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है, जो स्वीकार है। परन्तु कदीमी रास्ता प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 के खेत के लगता है। इसलिय आने जाने मे कोई परेशानी नही हो रही है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 के खेत के कदीमी रास्ता लगने से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो काबिल खारीज योग्य है। प्रार्थी व अप्रार्थी संत्र 2 के खेत के सबसे नजदीकी रास्ता ख. न. 270/1 के पूर्वी माठ पर नजरी नक्सा में प्रार्थी द्वारा दर्शाया गया है जो गलत हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 के खेत के चिपते ही पूर्वी दक्षिणी कोने से इन्ही के परिवार का खेत ख.न. 269 जिसका खातेदार अपने खेत मे अपने भाई के खेत ख.न. 268/513 मे से आता जाता रहा है जो मौका रिपोर्ट मे दर्शाया गया है। जिसमें D से E रास्ता ख. न. 269 के खातेदार का आया हुआ है मात्र E से F की दूरी 284 फुट ही मौका रिपोर्ट मे दशाई गई है। जो सबसे नजदीक तथा परिवाद के खेत मे से रास्ता है। जिससे प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

प्रार्थी व अप्रार्थी से. 2 के खेत मे आने जाने हेतु कदीमी रास्ता होते हुये प्रार्थना पत्र मे नही लिखा है साथ यह भी नहीं लिखा है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 अपने खेत मे आने जाने हेतु उपरोक्त रास्ता का उपयोग कर रहे हो। तथा यह भी गलत है उपरोक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता व नजदीक रास्ता नही हो। मौका रिपोर्ट में मार्क E से F जो 284 फिट दूरी पर है इसके अलावा एक अन्य नजदीकी रास्ता जो मार्क I से J है जो 490 फिट दर्शाया गया है, जो ख.न. 270 मे है

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

तथा मौके पर 475 फिट ही आया हुआ है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता अधिक दूरी होने से प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते पर सबसे अधिक कृषि भूमि व विकट मोड आयेगा। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे सबसे नजदीकी रास्ता E से F 284 फिट ख.न. 270 के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है जिससे पक्षकार के अभाव में प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील अप्रार्थी ने मजीद एतराज पेश कर निवेदन किया धारा **251क** के प्रावधान मनचाहे स्थान से अपनी सुविधा जनक रास्ता कायम करने हेतु नही है बल्कि जंहा पर कोई रास्ता या आवागमन हेतु उपलब्ध नहीं होने के साथ ही सबसे कम कृषि भूमि यानी सबसे कम दूरी की जगह पर ही रास्ता कायम किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता 251 क मे लागू नही होता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा ख.न. 269 मौका रिपोर्ट मे मार्क E से F तथा इससे पहले खेत ख.न. 268/513 मे से 242 फिट जो मार्क D से E का उपभोग व उपयोग प्रार्थी द्वारा किया जा रहा हैं इसके अलावा ख.न. 270 मे से रास्ता मार्क I से J के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिससे दावा चलने योग्य नही है। मौका रिपोर्ट मार्क NML जो कदीमी रास्ता चल रहा था जिसका मौका रिपोर्ट में उक्त NML क्या है, के बारे मे नही दर्शाया गया है। मौका रिपोर्ट मे प्रार्थी के खेत मे रहवासिया ढाणियां आई हुई होने का कहीं उल्लेख नही किया गया है। प्रार्थी के खेत मे आने जाने के लिए ख.न. 482/766 ये 266 मे होता हुआ ख.न. 269 मे से प्रार्थी के खेत तक कदीमी रास्ता होने से प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 का अप्रार्थी सं. 1 के खेत मे से कभी आना जाना नहीं रहा है। मात्र अप्रार्थी को परेशान करने की मंशा से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थी के परिवार के खेत ख.न. 269 प 268/513 दोनो आपस मे सगे भाई है। तथा खेत ख.न. 269 अपने खेत में मौका रिपोर्ट में नजरी नक्सा मे मार्क D से E रास्ते के रूप में उपयोग ले रहा है। जो मौके पर पूर्ण रूप से स्थाई रास्ता आया हुआ है। प्रार्थी का मात्र मार्क E से F की दूरी जो 284 फिट है जो सबसे कम दुरी का होने के साथ ही परिवार के दोनो खेतो का रास्ता कायम होगा जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिससे प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

अप्रार्थी सं. 6 की ओर से जवाब प्रस्तुत होकर प्रारम्भिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का निर्णय करते समय अप्रार्थी सं. 6 एक्सिस बैंक के यहा रहन अराजी भूमि में बैंक के समस्त अधिकार सुरक्षित रखते हुये इस प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जावे तथा रहनशुदा हिस्से को सुरक्षित रखा जावे। पक्षकारान् को समुचित अवसर देते हुये पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र हेतु नियत की गई।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

बहस वकुलाय सुनी गई। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 को अपने खेत मे आने जाने हेतू अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। मौका रिपोर्ट में दर्शायी गई पगंडंडी से प्राथी अपने खेत मे कास्त हेतु संसाधन नही ला व लेजा सकता है। तथा मौका रिपोर्ट ख.न. 776/261 व व 780/261 मे रास्ता मार्क LMN दूर व लम्बा होने तथा मौका रिपोर्ट में ख.न. 270/1 की पश्चिमी माठ व ख.न. 270 की पूर्वी माठ प्रस्तावित रास्ता मार्क GHIJ दूर व रास्ते में धोरा होने से उपयुक्त रास्ता नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 को अपने खेत मे आने जाने ख.न. 270/1 की पूर्वी माठ के अन्दर अन्दर होकर फिर आगे पश्चिम मे घूम कर ही हो सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खेत ख.न. 270/1 की पूर्वी माठ के अन्दर अन्दर रास्ता घोषित करने के आदेश पारित करे जिसकी ऐवज में प्रार्थी आवश्यक प्रतिफल देने के लिऐ सहमत है।

वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र मय मजीद एतराज में वर्णित तथ्यों का पुनः दोहरान करते हुये हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों/पैराज का खण्डन करते हुये प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मनगढ़त तथा गलत, मिथ्या, बनावटी होने का कथन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 के खेत ख.न. 265 मे आने जाने हेतु कदीमी रास्ता वैकल्पिक रास्ता होने के उपरात भी यह प्रार्थना पत्र पेश किया जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। तहसीलदार जायल से प्राप्त रिपोर्ट में लाल डोटेड लाईन से कदीमी रास्ता व ख.न. 265 के उतर में ख.न. 780/261 की पश्चिमी माठ से होकर ख.न. 776/261 की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे रास्ता मार्क LMN व ख.न. 270 की पूर्वी माठ पर रास्ता मार्क I से J जो की कम दुरी के है तथा कम कृषि भूमि रास्ते के रूप मे प्रयुक्त होगी। परन्तु अप्रार्थी के द्वारा इन खसरो के खोतेदारो को पक्षकार नही बनाया गया गया जिससे प्रार्थी का प्राार्थना काबिल खारिज है । वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया प्रार्थी के द्वारा वैकल्पिक रास्ता होने तथा प्रार्थी के खेत ख.न. 265 मे रहवासीय ढाणीयां बनी हुई है जिनमे आने जाने के हेतु वैकल्पिक रास्ते का उपयोग व उपभोग किये जाने के उपरांत भी नये रास्ते बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो धारा 251 क की मंशा के विपरित है। साथ ही मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित अन्य रास्तो के खातेदारों को प्रार्थी के द्वारा पक्षकार नही बनाया गया है जिससे आवश्यक पक्षकारों के सयोंजन के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हे। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुये सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थी द्वारा किया गया।

7. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् राजस्व रिकॉर्ड, मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल का अवलोकन किया गया साथ ही वकुलाय द्वारा पक्षकारान की ओर से पैरवी करते हुये दी गई दलीलों एवं बहस पर गहनतापूर्वक मनन किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 के

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

खेत ख.न. 265 मे आने जाने हेतु कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है जिसे वकील
अप्रार्थी ने अपने जवाब में स्वीकार किया हैं। तहसीलदार की मौका जांच रिपोर्ट अनुसार
डोटेड लाईल कदीमी रास्ता है जहां से प्रार्थी अपने खेत मे आना जाना तो कर सकता
है परन्तु कृषि कार्य हेतु उपयोगी संसांधन नही ले जा सकता है। ख.न. 277/261 से
ख.न. 780/261 तक प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 1200 फिट है जो बहुत लम्बी दूरी हैं
जहा से रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। मौका रिपोर्ट मे एक अन्य रास्ता ख.न. 270
की पूर्वी व ख.न. 270/1 की पश्चिमी माठ पर दर्शाया गया है को सबसे कम दूरी
का रास्ता बताया गया हैं परतु उक्त रास्ता पर धोरा माठ होने से तथा ख.न. 270 के
खातेदार को पक्षकार नहीं बनया और यदि अब पक्षकार बनाया जाता है तो न्याय
निर्णय में अनावश्यक विलम्ब होगा तथा नई पेचिदगिया बढगी जिससे उक्त माठ पर
रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। इसी प्रका मौका रिपोर्ट में ख.न. 270/1 , 269 व
268/513 की सयुक्त माठ पर रास्ता प्रस्तावित किया गया है परन्तु प्रार्थी द्वारा ख.न.
268/513 व 269 के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है और अब पक्षकार बनयो
जाने से न्याय निर्णय में अनावश्यक विलम्ब होना लाजमी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित
रास्ता ख.न. 270/1 की पूर्वी माठ के सहारे सहारे मांगा गया है जो ख.न. 270/1 की
पश्चिमी माठ से प्रस्तावित रास्ता से कम दुरी होना बताया है परन्तु वकील प्रार्थी ने
दौराने बहस कथन किया कि ख.न. 270/1 की पश्चिमी माठ पर धौरा माठ है जिस
पर आवागमन किया जाना सम्भव नहीं है। मौका रिपोर्ट में ख.न. 270/1 की पूर्वी माठ
व पश्चिमी माठ पर प्रस्तावित रास्ता के अवलोकन से ज्यादा दुरी का अन्तर नहीं दिख
रहा है। प्रार्थी के अपने खेत ख.न. 265 मे आने जाने हेतु कटाणी रास्ता नहीं लगता है
जिसे वकील अप्रार्थी ने भी स्वीकार किया हैं। मौका रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत मे ससांधन
लाने व ले जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता होना नहीं बताया है। जिससे प्रार्थी को
अपने खेत ख.न. 265 मे आने जाने व कृषि संसाधन लाने व ले जाने हेतु रास्ते का
अभाव व अत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होती है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन पश्चात न्यायालय के मतानुसार प्रार्थी के खेत में आने जाने व
संसाधन लाने व लेजाने हेतु काई कटाणी रास्ता नहीं होने साथ किसी प्रकार का
वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से रास्ता के अभाव व रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता
सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोंचित प्रतित होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251'क' राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को ग्राम खेराट के अपने खेत ख.न. 265
आने जाने व कृषि संसाधन लाने ले जाने हेतु रास्ते का अभाव व अत्यांतिक आवश्यकता
सिद्ध होने से तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट अनुसार मौजा खेराट के खेत खसरा

नंबर 270/1 की पूर्वी माठ सहारे मार्क ABC कुल लम्बाई 513 फिट लम्बा व 12 फिट चौड़ा रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार–जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट हस्तगत प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम खेराट तहसील जायल के खसरा नं. 270/1 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रभावित खातेदार कृषक को प्रार्थीगण से भूमि की वर्तमान नवीनतम डी. एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) अनुसार भुगतान कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करे तथा माफिक आदेश बाद अपील मियाद के न्यायालय आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

11/7/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)जायल

यह आदेश आज दिनांक 11/7/2022 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

11/7/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)जायल

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) जायल जिला – नागौर

क्रमांक : भू.अ./2021/3000 दिनांक 4-8-2021

Kwf
4/8/21

प्रेषित :– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

जायल।

विषय :– प्रकरण धारा 251 ए की जांच करवाकर भिजवाने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि आपके न्यायालय के

प्रकरण स. 35/2021

नवान करणाराम बनाम दुर्जनराम

की जांच भू.अ.निरिक्षक से करवाई गई उक्त प्रकरण राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए से संबधित है। उक्त प्रकरण की जांच होकर भू.अ.निरिक्षक द्वारा तैयार की गई मोका रिर्पोट मय आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर इस कार्यालय में जमा हो जाने से इस पत्र के संलग्न श्रीमान कि सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न मौका रिर्पोट मय दस्तावेज।

तहसीलदार (भू.अ.) जायल
तहसीलदार (भू०अ०)
जायल

मौका रिपोर्ट

धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत

मैं मंगलाराम मेहरा भू०अ० नि० कालेडिया कार्यालय सहायक कलक्टर (हा.डी.ओ.) जायल के आदेश क्रमांक: रीडर/कोर्ट/25/ग/2021/429 दिनांक 22.07.2021 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 35/2021 भगवान करणाराम बनाम दुर्गाराम अन्तर्गत धारा 251क आर.टी.एक्ट की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 21/08/2021 को समय दोपहर 3:00 बजे से 6:30 बजे तक आराजी खसरा 265, 270/1, 270, 269, 268/493 एवं इसके आस-पास के खसरे वाके ग्राम खेराट परवार मजरा खेराट के मौके पर पहुंचा।

समस्त पक्षकारों को तामील कार्यालय (भू.अ.नि. कालेडिया) के नोटिस आवश्यक दिनांक [illegible] जारी किये गये थे। जिसकी तामील विधिवत रूप से करवाई गई। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित है।

क्रम	नाम पिता	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
1	भीयाराम S/o रूपाराम	71 वर्ष	मेघवाल	अप्रार्थी
2	करणाराम S/o रूपाराम	69 वर्ष	मेघवाल	प्रार्थी
3	राजुराम S/o दुर्गाराम (अप्रार्थी दुर्गाराम का पुत्र)	30 वर्ष	जाट	अप्रार्थी

उपरोक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना एवं मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई

1. प्रार्थी के खेत में आने-जाने के लिए वर्तमान में वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी वर्तमान में [illegible] लाइन से पगडंडी से आवागमन करते है।
2. प्रार्थी द्वारा पत्र वांछित/प्रस्तावित रास्ते [illegible] व वर्तमान अप्रार्थी रास्ते से नजदीकी रास्ता नहीं है। क्योंकि नजदीक बिन्दु GH व IJ है।
3. प्रार्थी द्वारा वांछित/प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण कार्य किया हुआ नहीं है। और अन्य जाय नजरी नक्शे में दर्शाये है वर्ष व वर्तमान में किसी प्रकार का निर्माण नहीं है।
4. प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते में निम्न खसरे आते है। उक्त खसरों की भूमि की डी.एल.सी. दर से दो गुणा से निम्नानुसार रकबा एवं कीमत का भी है।

1. खसरा 270/1, मेले जो नजरी नक्शे में ABCD से दर्शाया हुआ है जिसका रकबा एवं कीमत 0-3927 हे. ×2× 226961 = 204331 रु. बनती है
2. खसरा 270/1 मेले जो नजरी नक्शे में IJ से दर्शाया हुआ है।

मंगलाराम
भू.अ.नि. कालेडिया

जिसकी कीमत एवं रकबा 0-3584 है×2×266961 = 191137 रु. बनती है
(iii) खस. 270 मेंसे ऐसा न नक्शे में जो के दर्शाया गया है जिसकी कीमत एवं रकबा 0-3584 है×2×266961 = 191137 रु. बनती है।
(iv) खस. 268/513 मेंसे सेवान नक्शे में DE से दर्शाया हुआ है, जिसकी कीमत एवं रकबा 0-1903 है×2 266961 = 101605 रु. बनती है।
(v) खस 269 मेंसे संगान नक्शे में के दर्शाया हुआ है जिसकी कीमत एवं रकबा 0-2119 है×2 266961 = 11318 रु. बनती है, इसी प्रकार
(vi) खस 776/261 मेंसे संगान नक्शे मेंसे ML से दर्शाया हुआ है जिसकी कीमत एवं रकबा 0.8954 है×2×266961 = 472074 रु. बनती है।
(vii) खस 780/261 मेंसे संगान नक्शे मेंसे MN से दर्शाया हुआ है जिसकी कीमत एवं रकबा 0.1768 है×2×266961 = 94397 रु. बनती है। (पगडंडी) होकर आवोजिक संगान नक्शे में लाल स्याही से डोटेड लाइन से (पगडंडी) होकर आना-जाना करते हैं।
उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौत मिसल को पढ़कर सुनाई गई
मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़ सुन एवं समझकर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये गये।

क्र.	नाम मय पिता	जाति	हस्ताक्षर	
1	बगीयाराम s/o भगवनराम	मेघवाल	सिवोराम	प्रार्थी
2.	कानाराम s/o भगवनराम	मेघवाल	कानिसानाम	प्रार्थी / अप्रार्थी
3.	राजु राम पुत्र दुर्जनराम (अप्रार्थी दुर्जनराम का पुत्र)	जाट	राजुराम	अप्रार्थी

मौके पर उपस्थित अन्य मौत मिसल को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई और उनके हस्ताक्षर करवाये गये।

मंगलसिंह
LR करणिया
21/08/2021

अन्य मौत मिसल मौजूद सिवोराम
उपस्थित थे, परन्तु
हस्ताक्षर करने से
इनकार किया। राजुराम
मंगलसिंह
LR करणिया

कानिसानाम

दुर्जनाराम

नजरी नक्शा ग्राम खेराट

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला नागौर के आदेश प्रकरण/रीफ/कोर्ट/251क/2021/479 दिनांक 22/…/2021 संलग्न प्रार्थना-पत्र संख्या 35/2021 अनुसार कल्याणराम बनाम … अन्तर्गत धारा 251क आर.टी. एक्ट में मौका रिपोर्ट है

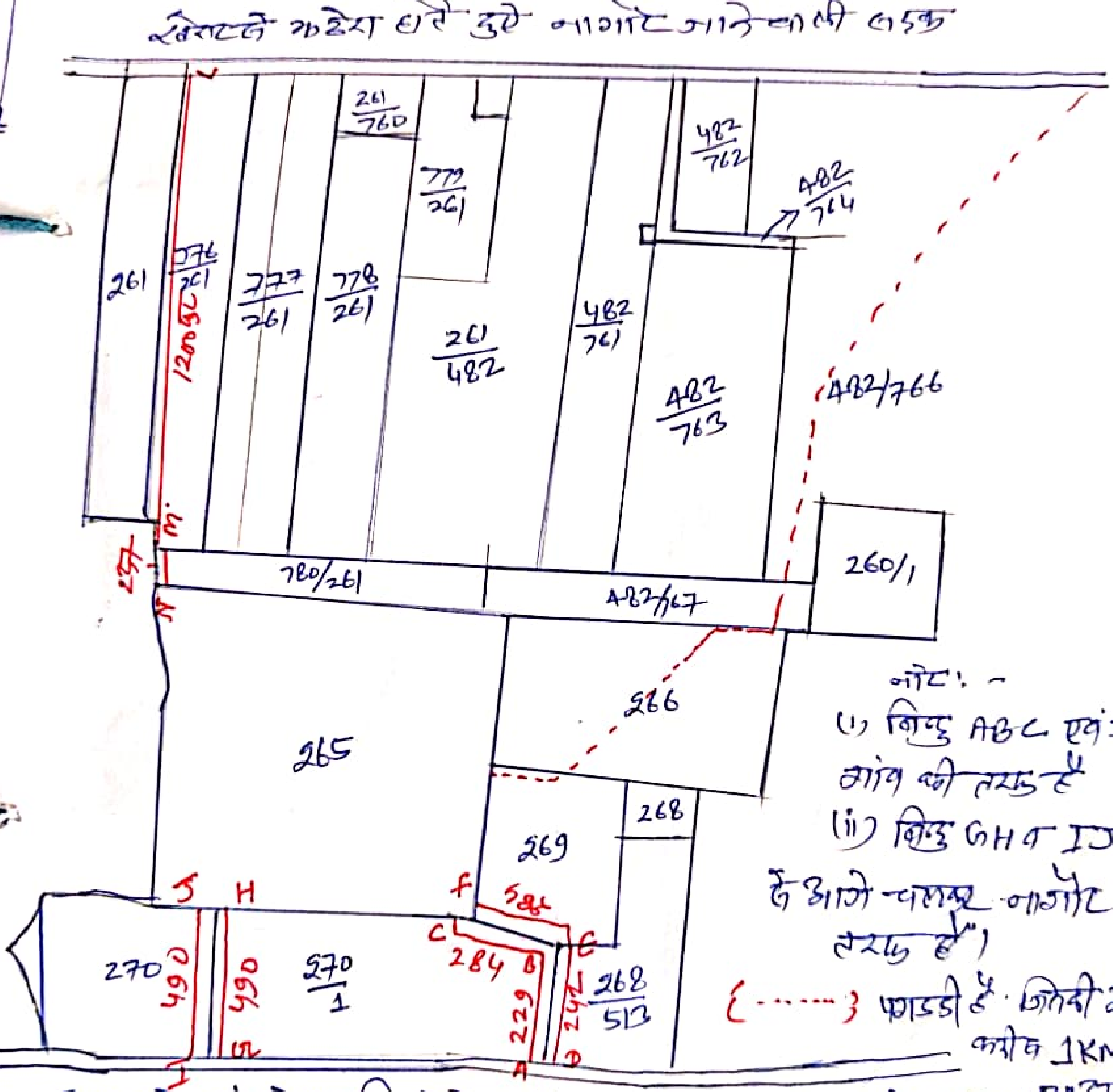

नोट:-

(1) बिन्दु ABC एवं DEF गांव की तरफ है

(ii) बिन्दु GH व IJ गांव के आगे चलकर नागौर की तरफ है।

(------) फाडडी है। जोकी करीब 1KM है ज्यादा है।

शिवदाराम

कॉ. शिव … राम

कानूराम

भू.अ.नि.

1 LR कनोड़िया